



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-17062025-263894  
CG-OR-E-17062025-263894

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2587]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2025/ज्येष्ठ 23, 1947

No. 2587]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2025/JYAISTHA 23, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 13 जून, 2025

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत सूचना

का.आ. 2651(अ).— भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा रेल मंत्रालय (ईस्ट कोस्ट रेलवे, निर्माण संगठन) में अधिसूचना संख्या, का.आ.1723(अ). दिनांक 15 अप्रैल, 2025 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित, दिनांक 15 अप्रैल 2025 (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) और उप-धारा (1) के तहत जारी किया गया। रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए के तहत, केंद्र सरकार निष्पादन के उद्देश्यसे उक्त अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, "खुर्दा रोड डिवीजन के मुख्य लाइन पर मंडसा(एमएमएस)-सुमादेवी(एसयूडीवी) स्टेशनों के बीच किमी 664/11-13 पर एल.सी. संख्या 359 के स्थान पर ROB का निर्माण" के निर्माण का रखरखाव, प्रबंधन और संचालन, आंध्र प्रदेश राज्य के जिला-श्रीकाकुलम में निर्दिष्ट भूमिका अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करती है।

और, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् तेलुगु में "आंध्र ज्योति" (श्रीकाकुलम & विशाखापत्तनम संस्करण) में दिनांक 27 अप्रैल, 2025 को और अंग्रेजी में "न्यू इंडियन एक्सप्रेस" (विशाखापत्तनम संस्करण) में दिनांक 27 अप्रैल, 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित हुआ था। और जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है। और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है।

अतः अब केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। अतः यह की केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन पर, यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्रो से मुक्त हो कर केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के जिला- श्रीकाकुलम में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् "खुर्दा रोड डिवीजन के मुख्य लाइन पर मंडसा(एमएमएस)-सुमादेवी(एसयूडीवी) स्टेशनों के बीच किमी 664/11-13 पर एल.सी.संख्या 359 के स्थान पर ROB का निर्माण" के अंतर्गत आनेवाली संरचना के साथ या बिनासंरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

भूमि अनुसूची						
परियोजना का नाम:- ROB – 359 का निर्माण						
जिले का नाम:- श्रीकाकुलम, प्रभाग का नाम:- खुर्दा रोड, मंडल का नाम:- मंडसा						
क्रम सं.	गाँव का नाम	प्लॉट/सर्वे संख्या	कुल क्षेत्रफल एकड़ में	भूमि का प्रकार	जमीन का किसम	पाटेदार/पंजीकृत किराएदार का नाम
1	कत्था कमलापुरम	62/1	0.11	SARKAR.WET	निजी	भावना तिरुपतम्मा वी/ओ विश्वनाथम
2	कत्था कमलापुरम	62/2A	0.19	SARKAR.WET	निजी	भावना तिरुपतम्मा वी/ओ विश्वनाथम
3	कत्था कमलापुरम	62/4A	0.05	SARKAR.WET	निजी	भावना तिरुपतम्मा वी/ओ विश्वनाथम
4	कत्था कमलापुरम	64/1A	0.05	SARKAR.WET	निजी	पुलात भास्करराव कृष्णराव का पुत्र
		कुल	0.40			

[फा. सं. CAO/CON/RSP/BBS/ROB No. 359/20E]

अजय कुमार सामल, चीफ इंजीनियर (निर्माण - १), आरएसपी

### MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction Department)]

### NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 13th June, 2025

### NOTICE UNDER SECTION 20E OF THE RAILWAY ACT, 1989

**S.O. 2651(E).**— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (East Coast Railway, Construction Organisation), Notification number, S.O.1723(E). dated 15th April, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3 Sub-section (ii), dated 15th April, 2025 (herein after referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, "Construction of ROB in lieu L.C.No.359 at Km 664/11-13 between Mandasa(MMS)-Sumadevi(SUDV) on Main line of Khurda Road Division" in the Srikakulam district state of Andhra Pradesh.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspapers namely "ANDHRA JYOTI" in Telugu (Srikakulam & Visakhapatnam Edition) on dated 27th April, 2025 and "New Indian

Express” in English (Visakhapatnam Edition) dated 27th April, 2025 under sub- section (4) of section 20A of the said Act; and whereas no objection has been received from any person by the competent authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project, namely “Construction of ROB in lieu L.C.No.359 at Km 664/11-13 between Mandasa(MMS)-Sumadevi(SUDV) on Main line of Khurda Road Division” in the Srikakulam district state of Andhra Pradesh.

LAND SCHEDULE					
<b>Name of the Project:- Construction of the ROB in lieu of L.C.No.359</b>					
<b>Name of the District:- Srikakulam,</b>					
<b>Name of the Division:- Khurda Road,</b>					
<b>Name of the Mandal:- Mandasa.</b>					
Sl. No.	Name of the Village	Survey No./ LPM No.	EXTENT Area (in Acre)	Land classification	NAME OF THE PATADAR/ RCODED TENANT NAME
1	KOTTA KAMALAPURAM	62/1	0.11	WET	Bhavana Tirupathamma W/o Viswanadham
2	KOTTA KAMALAPURAM	62/2A	0.19	WET	Bhavana Tirupathamma W/o Viswanadham
3	KOTTA KAMALAPURAM	62/4A	0.05	WET	Bhavana Tirupathamma W/o Viswanadham
4	KOTTA KAMALAPURAM	64/1A	0.05	WET	Pulata Bhaskararao S/o Krishnarao
		<b>TOTAL</b>	<b>0.40</b>		

[F. No. CAO/CON/RSP/BBS/ROB No. 359/20E]  
AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-I), RSP